लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 09–12/2012/सत्रह/मेडि–तीन

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
MR
18 NOV 2013
आवक क्रमांक 3167
हस्ताक्षर

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः–भोपाल केयर हॉस्पिटल, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि।

= 0 0 =

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 09–12/2012/सत्रह/मेडि–3, दिनांक 12.09.2012 के अनुक्रम में भोपाल केयर हॉस्पिटल, भोपाल को शासकीय कर्मचारियों एवं उसके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु पूर्व वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 12.09.2013 तक दी गई। मान्यता अवधि में आगामी दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2042/2433/नि./चार/2013, दिनांक 31.10.2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 09–12/2012/सत्रह/मेडि–तीन

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (आडिट–1/2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2002 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 2042/2433/नि./चार, दिनांक 31.10.2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
6. संयुक्त संचालक(एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, भोपाल केयर हॉस्पिटल, भोपाल ।
12. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

US-I-2/3

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 09—02/2012/सत्रह/मेडि—तीन

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
M.R
18 NOV 2013
क्रमांक 3168

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः—टी. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि।

= 0 0 =

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 09—02/2012/सत्रह/मेडि—3, दिनांक 18.02.2012 के अनुक्रम में टी. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उसके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु पूर्व वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 18.02.2013 तक दी गई। मान्यता अवधि में आगामी दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/— यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2042/2433/नि./चार/2013, दिनांक 31.10.2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 09—02/2012/सत्रह/मेडि—तीन

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

प्रतिलिपिः—

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (आडिट—1/2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2002 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 2042/2433/नि./चार, दिनांक 31.10.2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
6. संयुक्त संचालक(एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, टी. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इन्दौर।
12. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

US-I-2/3

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 09–15/2010/सत्रह/मेडि–तीन

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. [illegible]
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. [illegible]

विषयः–शिवम् मेडिकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीयूट, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि।

=00=

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 09–15/2010/सत्रह/मेडि–3, दिनांक 03.02.2012 के अनुक्रम में शिवम् मेडिकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीयूट, भोपाल को शासकीय कर्मचारियों एवं उसके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु पूर्व वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 28.12.2012 तक दी गई। मान्यता अवधि में आगामी दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2042/2433/नि./चार/2013, दिनांक 31.10.2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 09–02/2012/सत्रह/मेडि–तीन

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (आडिट–1/2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2002 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 2042/2433/नि./चार दिनांक 31. [illegible]
3. [illegible]
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
6. संयुक्त संचालक(एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, शिवम् मेडिकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीयूट, भोपाल।
12. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

[redacted]

मध्य प्रदेश शासन

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार ...

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

भोपाल,दिनांक 14/11/2013

क्रमांक एफ 9-11/2013/सत्रह/मेडि-3

... भवन भोपाल (...)

M.R

18 NOV 2013

आवक क्रमांक 3173

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिलाध्यक्ष,मध्यप्रदेश।

विषयः- **पराडकर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, नरसिंहपुर** को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

....00.....

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम-2 (च) के अंतर्गत **पराडकर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, नरसिंहपुर** को शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की जांच/उपचार हेतु सम्मुख अंकित शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर उपचार की सहमति आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जाती है ।

समिति द्वारा अनुशंसित उपचार/जांच	शासन द्वारा स्वीकृत दरें
Orthopedic	
1- Total Knee Replacement	99,000/-
2- Total Hip Replacement	81,000/-

2/- यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1. चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म. प्र.भोपाल को भेजी जावेगी ।
2. चिकित्सालय द्वारा प्रचलित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा ।
3. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
4. जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
5. संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर यह जांच करेंगे, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है ।
6. जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा । कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे । जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेगें ।

निरन्तर ...2

7. उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने/परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों पर की जावेगी । यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इससे महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वह स्वयं वहन करेगा ।
8. उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।
9. अस्पताल द्वारा उसी दर से फीस/चार्जेस लिये जायेगे जो शासन द्वारा अनुमोदित हो ।
10. संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
11. बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि – ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है ।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2042/2433/नि/चार, दिनांक 31/10/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9– 11/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 14 /11/2013

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)–1 /2 म.प्र.ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव,मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 2042/2433/नि/चार, दिनांक 31/10/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4. संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10. लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11. संचालक, पराडकर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, नरसिंहपुर म.प्र.।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

क्रमांक एफ 09–14/2004/सत्रह/मेडि–तीन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
M.K.
18 NOV 2013
आवक क्रमांक 9166

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः–ग्लोबस एस.एन.जी. हॉस्पिटल, इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि।

= 0 0 =

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमांक 09–14/2004/सत्रह/मेडि–3, दिनांक 25.10.2010 के अनुक्रम में ग्लोबस एसएनजी हॉस्पिटल, इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उसके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु पूर्व वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 29.12.2011 तक दी गई मान्यता अवधि में आगामी दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक कमांक 2042/2433/नि./चार/2013, दिनांक 31.10.2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमाक एफ 09–14/2004/सत्रह/मेडि–तीन. भोपाल, दिनांक 14/11/2013

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (आडिट–1/2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2002 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक कमांक 2042/2433/नि./चार, दिनांक 31.10.2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
6. संयुक्त संचालक(एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, ग्लोबस एसएनजी हॉस्पिटल, इन्दौर ।
12. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

कमाक एफ 09–25/2012/सत्रह/मेडि–तीन

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

M.R
18 NOV 2013
आवक क्रमांक 3164

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः—नर्मदा ट्रामा सेंटर, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि।

= 0 0 =

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमांक 09–25/2012/सत्रह/मेडि–3, दिनांक 16.10.2012 के अनुकम में नर्मदा ट्रामा सेंटर, भोपाल को शासकीय कर्मचारियों एवं उसके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु पूर्व वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 16.10.2013 तक दी गई। मान्यता अवधि में आगामी दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/— यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक कमांक 2042/2433/नि./चार/2013, दिनांक 31.10.2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमाक एफ 09–22/2012/सत्रह/मेडि–तीन

भोपाल, दिनांक 14/11/2013

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (आडिट–1/2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2002 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक कमांक 2042/2433/नि./चार, दिनांक 31.10.2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
6. संयुक्त संचालक(एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर, भोपाल।
12. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

US-I-2/3

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 09–22/2010/सत्रह/मेडि–तीन भोपाल, दिनांक 14/11/2013

M.R
18 NOV 2013
आवक क्रमांक 3165

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः–बाम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि।

= 0 0 =

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमांक 09–22/2010/सत्रह/मेडि–3, दिनांक 26.1 2010 के अनुकम में बाम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर को शासकीय कर्मचारियों एवं उसके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु पूर्व वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 26.10.2012 तक दी गई। मान्यता अवधि में आगामी दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक कमांक 2042/2433/नि./चार/2013, दिनांक 31.10.2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमांक एफ 09–22/2012/सत्रह/मेडि–तीन भोपाल, दिनांक 14/11/201
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (आडिट–1/2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2002 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक कमांक 2042/2433/नि./चार, दिनांक 3 10.2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
6. संयुक्त संचालक(एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, बाम्बे हॉस्पिटल, इन्दौर ।
12. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

US-I-2/3

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 14/11/20

कमांक एफ 09–19/2012/सत्रह/मेडि–तीन

M.R
18 NOV 2013
3170

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः–एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्य जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि।

= 0 0 =

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप कमाक 09–19/2012/सत्रह/मेडि–3, दिनांक 2012 के अनुकम में एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल को शासकीय कर्मचारियों एवं उसके आश्रि जांच/उपचार हेतु पूर्व वर्णित शर्तो एवं निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 12.09.2013 तक दी गई। अवधि में आगामी दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है। 2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक कमांक 2042/2433/नि./चार/2013, दिनांक 31.10.20 दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 15/

पृ. कमाक एफ 09–19/2012/सत्रह/मेडि–तीन

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (आडिट–1/2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर वित्त अधिसूचना दिनांक 30.09.2002 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक कमांक 2042/2433/नि./चार, 10.2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
6. संयुक्त संचालक(एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल।
12. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि

US-I-2/3

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 09–05/2011/सत्रह/मेडि–तीन — भोपाल, दिनांक 14/11/2013

M.R
18 NOV 2013
3171

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, म.प्र.।

विषयः–पाढर हॉस्पिटल, बैतूल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि।

= 0 0 =

राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 09–05/2011/सत्रह/मेडि–3, दिनांक 16.10.2012 के अनुक्रम में पाढर हॉस्पिटल, बैतूल को शासकीय कर्मचारियों एवं उसके आश्रितों की जांच/उपचार हेतु पूर्व वर्णित शर्तों एवं निर्धारित दरों के अनुसार दिनांक 16.10.2013 तक दी गई। मान्यता अवधि में आगामी दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2042/2433/नि./चार/2013, दिनांक 31.10.2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमाक एफ 09–05/2011/सत्रह/मेडि–तीन — भोपाल, दिनांक 14/11/2013

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) (आडिट–1/2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.2002 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 2042/2433/नि./चार, दिनांक 31.10.2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
6. संयुक्त संचालक(एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, पाढर हॉस्पिटल, बैतूल।
12. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

US-I-2/3

मध्य प्रदेश शासन

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–11/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 15/11/2013

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
4. रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय,जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिलाध्यक्ष,मध्यप्रदेश।

विषय:–नोबल मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल, भोपाल को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता।

....00.....

राज्य शासन एतद्द्वारा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम–2 (च) के अंतर्गत नोबल मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल भोपाल को शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की जांच/उपचार हेतु सम्मुख अंकित शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर उपचार की सहमति आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जाती है ।

समिति द्वारा अनुशंसित उपचार/जांच	शासन द्वारा स्वीकृत दरें
1- Spine surgery	
a) Cervical	14,500/-
b) Dorsel	14,500/-
c) Lumber	14,500/-
2- Neurosurgery	
Neurosurgery	60,000/-
Orthopedic	
1- Total Knee Replacement	99,000/-
2- Total Hip Replacement	81,000/-

2/– यह मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी :–

1. चिकित्सालय द्वारा संचालक चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखनी होगी तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख को संचालक चिकित्सा सेवाऐं म.प्र.भोपाल को भेजी जावेगी ।
2. चिकित्सालय द्वारा प्रचलित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा ।
3. मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों द्वारा शासकीय कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
4. जानकारी समय पर न भेजने, शासकीय सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लेने, संस्थान द्वारा दी जाने वाली परीक्षण संबंधी सुविधायें उपयुक्त/मानक स्तर की न पाये जाने अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर मान्यता किसी भी समय पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
5. संचालक चिकित्सा सेवाऐं व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय–समय पर यह जांच करेंगे, कि समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर की है ।
6. जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अन्तर्गत निदान/उपचार के लिये पात्रता है उस शासकीय सेवक को पदस्थापना के निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में कंसलटेन्ट को दिखाना होगा । कंसलटेन्ट द्वारा निदान की नितान्त आवश्यकता के प्रमाण पत्र की जांच एक समिति करेगी, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के डीन तथा मेडीकल और सर्जरी के विभागाध्यक्ष रहेंगे । जिला मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण पत्र की जांच सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ (रोग विशेषज्ञ) करेगें ।

निरन्तर ...2/

7. उक्त चिकित्सालय में उपचार कराने/परीक्षण करवाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति निर्धारित दे की जावेगी । यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य इ महंगी चिकित्सा या अन्य परीक्षण उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष राशि का भार वे स्वयं वहन करेगा ।
8. उक्त निर्धारित परीक्षणों के दरों की समीक्षा/पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा ।
9. अस्पताल द्वारा उसी दर से फीस/चार्जेस लिये जायेगे जो शासन द्वारा अनुमोदित हो ।
10. संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
11. बड़ी शल्य क्रियाओं जैसे कि – ओपन हार्ट सर्जरी इकाई हेतु स्वयं का ब्लड बैंक भी संस्थान में होना अनिवार्य है ।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 2042/2433/नि/चार, दिनांक 31/10/2013 द्वारा दी गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है ।

स्वास्थ्य सेवाऐं ... भवन भोपाल (म.प्र.)
M.R.
18 NOV 2013
आवक क्रमांक 3172 हस्ताक्षर

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9– 11/2013/सत्रह/मेडि–3 भोपाल,दिनांक 14 /11/2013

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)--1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.9.02 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव,मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्रमांक 2042/2433/नि/चार, दिनांक 31/10/2013 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4. संचालक, चिकित्सा सेवाऐं/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र. भोपाल ।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10. लेखा शाखा,मंत्रालय,भोपाल ।
11. संचालक, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल, भोपाल म.प्र.।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग